यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत के माह 03/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **08**.08.2017 से 11.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-**I**

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी व श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2016 से 31.03.2016 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2011 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, चम्पावत

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	154.30	147.40	23.80	20.67	-	-
2015-16	-	-	167.76	167.75	27.82	27.82	-	-
2016-17	-	-	192.25	148.59	37.63	36.37	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	175.71	70.71	32.65	07.78		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-01</u> ₹ 01.28 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (सशोधित) नियमावली-2015 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹50,000 से ₹3,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-12 'कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' से वर्ष 2016-17 में ₹128505 का क्रय, क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किया गया। विवरण निम्न है-

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
मै0 जोशी जनरल आर्डर सप्लायर एण्ड कन्सट्रक्शन, चम्पावत	448	06.03.2017	47750
	449	07.03.2017	37655
	476	16.03.2017	39800
	483	18.03.2017	3300
योग			128505

उपरोक्त क्रय एक ही फर्म से माह 03/2017 में किया गया। टुकडों में क्रय किया जाना उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली-2015 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबंधित मद में बजट विलम्ब से प्राप्त होने के कारण जल्दीबाजी में क्रय किया गया, भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली का अनुपालन न किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-2-</u> रू 1.00 लाख के निष्प्रोज्य वाहन का नीलाम न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के पैरा 196 एवं 197 के अनुसार कार्यालय के निष्प्रोज्य वस्तुओं (जिनकी मरम्म्त न की जा सके) को सक्षम अधिकारी द्वारा समिति बनाकर एवं तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निष्प्रोज्य घोषित करके शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत के निष्प्रोज्य वस्तुओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वाहन सं0यू0ए0 03/3624 जिप्सी माडल Maruti Gypsy MPI BSIII (Hard Top) 2006 जो कि दिनांक 28-04-2015 से आफरोड है, को निष्प्रोज्य घोषित किया गया है, जिसका न्यूनतम नीलामी मूल्य सीनीयर फोरमैन डिपो कार्यशाला लोहाघाट द्वारा जारी विभागीय निरीक्षण आख्या के आधार पर रू 100000/- घोषित किया गया है, क्योंकि वाहन निष्प्रोज्य होने के कारण अनावश्यक रुप से कार्यालय का स्थान घेरे हुए है, तथा मूल्य का ह्रास हो रहा है, जिसे शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में विभाग ने अपने उत्तर में बताया है कि निष्प्रोज्य वाहन की शीघ्र नीलामी कराकर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तरः-03</u> ₹09.62 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

जनपद चम्पावत में वर्ष 2015-16 के दौरान दैवीय आपदा के तहत लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट एवं लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु ₹65.94 लाख अवमुक्त किया गया था। विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	आबंटित राशि	उपयोगिता प्रमाण की राशि	अवशेष धनराशि
		2015-16	2015-16	
1.	लो.नि.वि., लोहाघाट	07.38	0	07.38
2.	लो.नि.वि. चम्पावत	37.35	35.27	02.08
3.	पी.एम.जे.एस.वाई, चम्पावत	21.21	21.05	0.16
योग		65.94	56.32	09.62

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण अल्प अवधि 90 दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए था। दिशानिर्देश के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। परन्तु वर्ष <u>2015-16 में आबंटित ₹65.94</u> धनराशि के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक ₹09.62 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को प्राप्त नहीं हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दैवीय आपदा के कार्य तत्कालिक प्रकृति के होते हैं ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिले एवं एक वर्ष 4 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः-01</u> वर्षान्त में ₹ 05.21 लाख का व्ययाधिकय **(Rush of Expenditure)**।

सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 56 (3) के अनुसार "वित्तीय वर्ष के अन्त में विशेष तौर पर अन्तिम माह में व्ययाधिक्य, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन है, इससे बचना चाहिए"।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में विभिन्न मदों में वर्षान्त बजट समर्पण से बचने हेतु अत्यधिक व्यय किया गया। विवरण निम्न है

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	मद	लघु लेखा शीर्ष	कुल व्यय	अन्य माहों में कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	प्रतिशत
2016-17	08-'कार्यालय व्यय'	101	1980	0	1980	100%
		103	7000		7000	100%
	11-'स्टेशनरी एवं मुद्रण'	103	1500	0	1500	100%
		093	91842	35000	56842	62%
	12-'फर्नीचर एवं उपकरण'	101	9927	0	9927	100%
		093	199905		199905	100%
	46-'कम्प्यूटर हार्डवेयर'	101	48000	0	48000	100%
	47-'कम्प्यूटर अनुरक्षण'	101	3000	0	3000	100%
		103	1500		1500	100%
2015-16	08-'कार्यालय व्यय'	103	5438	0	5438	100%
		093	300000	160056	139944	42%
	11-'स्टेशनरी एवं मुद्रण'	093	61429	28400	33029	54%
	12-'फर्नीचर एवं उपकरण'	103	8450	0	8450	100%
	47-'कम्प्यूटर अनुरक्षण'	103	5000	0	5000	100%
योग			744971	223456	521515	70**%**

वर्ष 2015-16 में माह मार्च में मद संख्या-12 एवं मद संख्या-47 में वर्ष के कुल व्यय का 100% व्यय किया गया तथा मद संख्या-11 में कुल व्यय का 54% व्यय किया गया जबकि वर्ष 2016-17 में माह मार्च में मद संख्या-08, 12, 46 एवं मद संख्या-47 में वर्ष के कुल व्यय का 100% व्यय किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में वर्षान्त व्यय से बचा जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्षांत व्ययाधिक्य किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
नि.सि./ले.प.प्रति.-193/2006-07	01	02	भाग-II 'अ' प्रस्तर-1. ₹117 लाख का अनियमित आहरण कर निधि का लगभग दो वर्षो से अनियमित अवरोधन। भाग-II 'ब' प्रस्तर-1. राजस्व विभाग जनपद चम्पावत में वृहद निर्माण हेतु प्राप्त ₹1023.05 लाख के निर्माण कार्यों पर निगरानी के अभाव में कार्यों में विलम्ब एवं लागत में वृद्धि। भाग-II 'ब' प्रस्तर-2. ₹1795810 की निधियों को आहरित कर कैश चेस्ट में अवरोधन।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-09/2011-12	-	05	भाग-II 'ब' प्रस्तर-1. विभागीय शिथिलता के कारण कार्य का अपूर्ण रहना तथा लागत मे वृद्धि ₹12.95 लाख । प्रस्तर-2. कार्यदायी संस्था को कार्य की सम्पूर्ण लागत ₹151.14 लाख उपलब्ध कराने के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना। प्रस्तर-3. विभाग की उदासीनता तथा अनुश्रवण के अभाव मे ₹29.42 लाख का परिहार्य व्यय । प्रस्तर-4. विभाग द्वारा खोले गए वेयक्तिक खाते (PLA A/C) मे ₹179.00 लाख का अवरोधन। प्रस्तर-5. ₹17.13 करोड़ की लागत से दैवीय आपदा मद के अंतर्गत कराये वाये कार्यो की जांच रिपोर्ट न प्रस्तुत किया जाना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-64/2015-16	-	01	भाग-II 'ब' प्रस्तर-**1** त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन बनाये जाने के कारण ₹ 4.07 लाख धनराशि का अप्रयुक्त रहना।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
नि.सि./ले.प.प्रति.-193/2006-07	भाग-2 'अ' प्रस्तर-01 एवं भाग-2 'ब' प्रस्तर-01 व 02	अनुपालन आख्या कार्यालयाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत।	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी अनुपालन आख्या में अंकित है।	
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-09/2011-12	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01 से 05			
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-64/2015-16	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- एस0डी0आर0एफ0 (दैवीय आपदा) पर विभिन्न एजेन्सियों के प्रस्ताव पर चर्चा और स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी द्वारा बैठक की कार्यवृत एवं कार्यसूची

2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी	10.11.2014	29.04.2017
2.	श्री अहमद इकबाल	जिलाधिकारी	29.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र